भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4778

बुधवार, 24 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए
उद्योग स्थापित किया जाना

4778. श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड सहित बांदा और चित्रकूट जिलों में कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर इनकी स्थापना की जाएगी;
(ग) उक्त उद्योग की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30.06.2020 तक बांदा जिले में कुल 3,146 एमएसएमई स्थापित किए गए हैं और चित्रकूट जिले में 4,372 एमएसएमई स्थापित किए गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में, कुल 27,886 एमएसएमई ईकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कुल 26 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 13 समझौता ज्ञापनों की प्रगति इस प्रकार दी जाती है: झांसी जिले में 05 औद्योगिक ईकाइयों (4 एमएसएमई तथा 1 भारी उद्योग) ने वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ कर दिया है; झांसी (2), ललितपुर (2) और जालौन जिले में 05 ईकाइयां (4 एमएसएमई तथा 1 भारी उद्योग) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा इनके दिसंबर, 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है; और भारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत 3 ईकाइयां चित्रकूट (1) तथा हमीरपुर (2) में हैं जिनके 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। शेष 13 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में निवेश की इच्छा जताई गई है लेकिन प्रगति की कोई सूचना नहीं दी गई है।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे तथा स्थान को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

क्र.सं.	जिला	उद्योग आधार पंजीकृत	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
1.	बांदा	3146	2834	306	6
2.	चित्रकूट	4372	4216	154	2
3.	हमीरपुर	2625	2480	140	5
4.	जालौंन	2959	2780	160	19
5.	झांसी	10033	9236	774	23
6.	ललितपुर	3648	3465	180	3
7.	महोबा	1103	831	262	10
	कुल	27,886	25,842	1976	68

(ग) और (घ): कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में स्थित औद्योगिक ईकाइयों के 2023 तक स्थापित होने की संभावना है। 13 समझौता ज्ञापन (एमओयू) जिनमें निवेश की इच्छा जताई गई है, उनके संबंध में इस विभाग के पास विशिष्ट समय-सीमा उपलब्ध नहीं है।

*****